संख्या–322/26–ब0प्र0–2010–500(13)/98

प्रेषक,

भवनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण लखनऊ::दिनांक 08 अप्रैल,2010

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक मे अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना वृद्धावस्था/किसान पेंशन (जिला योजना) में किये गये आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–2229/स0क0/एनएसएपी/2010 दिनांक 2–4–2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010 दिनांक 26–3–2010 में जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक मे अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना वृद्धावस्था/किसान पेंशन (जिला योजना) में किये गये आय–व्ययक प्राविधान रू0 60.00 करोड़ के सापेक्ष प्रथम छमाही में व्यय किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ 50 प्रतिशत धनराशि रूपये 30,00,00,000/– (रूपये तीस करोड़ मात्र) निर्गत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना हेतु व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों पर ही किया जायेगा । निदेशक, समाज कल्याण यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय के सापेक्ष ही किया जायेगा । स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व वर्षो की स्वीकृत धनराशि अप्रयुक्त उपलब्ध न हो। धनराशि का व्यय /उपयोग योजना के लिए निर्धारित नियमावली/स्थायी आदेश के अनुसार ही किया जायेगा ।

2– जनपदों में धनराशि आवंटित करने में नये लाभार्थियों को किसी भी दशा में आच्छादित नहीं किया जायेगा ।

3– उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा समय–समय पर जारी वित्तीय नियमों एवं आदेशों तथा मितव्ययिता से संबंधित निर्देशों तथा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा–निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय ।

4– विभागाध्यक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले संभावित व्यय की फोसिंग के आधार पर अनिवार्य रूप से वित्त विभाग तथा शासन को उपलब्ध करायेंगे

जिसमें राज्य स्तर पर आहरण निर्धारित किये जाने मे किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो ।

5–नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बी–एम–13 पर नियमित रूप से व्यय विवरण प्रशासकीय विभाग के साथ–साथ वित्त विभाग (संबंधित व्यय नियंत्रण अनुभाग) को भी प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाय ।

2– उपर्युक्त योजना पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 के लेखा शीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–आयोजनागत–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–03–वृद्धावस्था/ किसान पेंशन (जिला योजना)–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राज्य सहायता के नामें डाला जायेगा ।"

3– यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26–3–2010 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव ।

पृ0सं0–322(1) /26–ब0प्र0–2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम/आडिट) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (बजट), अनुभाग–1/2
4. राज्य योजना आयोग अनुभाग–1/2
5. समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, समाज कल्याण,उ0प्र0
6. कम्प्यूटर/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ ।
7. निदेशक,एन0आई0सी0योजना भवन लखनऊ।
8. गार्डफाइल

आज्ञा से,

(भवनाथ)
विशेष सचिव।

08/4/10